13-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत बैंच अमरगढ़ पर पेश हुई। अप्रार्थी पूरण गूजर उपस्थित है। अप्रार्थी ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित भूमि ख०नं० 228 रकबा 0.84 है० ग्राम मच्छीपुरा की भूमि के सहखातेदारान ने रिकार्ड व मौके पर भूमि का विभाजन करवा लिया है जिसमें 0.22 है० भूमि अप्रार्थी पूरण के हिस्से में आई है तथा इस हिस्से में ही टावर लगा हुआ है। उक्त टावर की भूमि का अप्रार्थी पूरणसिंह 3 माह में कन्वर्जन करवा लेगा। यदि अप्रार्थी 3 माह में कन्वर्जन कार्यवाही नहीं करेगा तो भूमि को सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज कर दिया जावे।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी ख०नं० $\frac{228}{0.84}$ ग्राम मच्छीपुरा में उसके हिस्से में आई भूमि में स्थित टावर की भूमि का 3 माह में आवश्यक रूप से कन्वर्जन करा ले। इस अवधि के बाद भी अप्रार्थी द्वारा भूमि का कन्वर्जन नहीं कराने पर टावर जितनी भूमि में स्थापित है वह भूमि सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज कर दी जावे। इस आशय का पर्चा डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा)	(सतीश कुमार शर्मा)	(मुनिदेव यादव)
एडवोकेट	एडवोकेट	अध्यक्ष
सदस्य	सदस्य	लोक अदालत
लोक अदालत	लोक अदालत	गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	एवं
		उप जिला कलेक्टर
		गंगापुर सिटी

प्रस्तुत

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- अमरगढ़

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 19/6/18

कैम्प - अमरगढ़
लैण्डहोल्डर - बनाम जयसिंह वगैरह

प्रकरण संख्या :- अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री लैण्डहोल्डर

निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गया अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- कि विवादित भूमि ख.नं. 22 0.84 हे0 ग्राम-मच्छीपुरा की भूमि को सहखातेदारान ... पर विभाजन कर लिया है जिसमें 0.22 हे0 ... पूरणसिंह के हिस्से में आई है ... पूरणसिंह ... अप्रार्थी ... भूमि का सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज ...

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

पक्ष 1. .... प्रतिवादी पक्ष 1. पूरण गुर्जर

2. .... 2. ....

3. .... 3. ....

4. .... 4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर सीमा सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ़ पं०स० गंगापुर सिटी (स०मा०)

(वादी पक्ष) नाम .... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रार्थी/वादी लैण्ड होल्डर एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी पूरण गुर्जर .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव) पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

53

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी को कब्जा राज में लिया जावे एवं अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को सिवायचक किया जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र–1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ....

नम्बर मुकदमा ....27/13..........................

उनवान मुकदमा ....

बनाम

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान..............

दिनांक 19/6/18

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी को कब्जा